न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ.राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 34 / 2020

जी.सी.एम.एस नम्बर : 2020 / 00091

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
1. सुन्दरदास पुत्र तेजुमल 2. लीलाराम पुत्र टेकचंद जातिगण सिन्धी निवासीगण मारवाड जंक्शन, तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली		1. नन्दलाल पुत्र मुलचंद जाति सिन्धी निवासी मारवाड जंक्शन तहसील मा. ज. जिला पाली 2. ग्राम पंचायत मारवाड जंक्शन जरिये सरंपच तहसील मा.ज. जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित –

श्री पृथ्वीसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण।
श्री दौलत मकवाना विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 18.3.2024

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत मारवाड जंक्शन द्वारा जारी मिसल संख्या 07 / 1999–2000 सकल्प संख्या 04 दिनांक 08.07.2002 की पालना में अप्रार्थी श्री नन्दलाल पुत्र मुलचंद के पक्ष में जारी पटटा संख्या 2625 दिनांक 01.03.2003 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने वक्त बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत मारवाड जंक्शन ने अप्रार्थी नन्दलाल पुत्र मुलचंद के पक्ष मे मिसल संख्या 07 / 99–2000 की पालना में पट्टा सख्या 2625 दिनांक 01.03.2003 नियम 157 ख के तहत पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुए जारी किया। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत से मिली भगत कर पंचायत नियमों के विरूद्ध जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया है, जिस पर अप्रार्थी का कभी कब्जा ही नही था। जैर निगरानी आराजी प्रार्थी के दादा मुलचंद सिन्धी की है जिनकी मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी पर उनके पुत्रों का पिछले 50 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 ने ग्राम पंचायत में जैर निगरानी आराजी के लिए पटटे आवेदन करते समय बिना दिनांक एवं बिना आस–पडौस अंकित किये प्रार्थना पत्र पेश कर दिया एवं दिनांक 22.05.1993 को प्रार्थना पत्र पेश कर 501 रूपये की रसीद संख्या 60 दिनांक 22.05.1993 का जिक्र किया, लेकिन पुर्व में पेश प्रार्थना पत्र की प्रति पेश नही की। दिनांक 11.09.2000 को तीन पंचो के द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अस्थाई तौर पर भुमि विक्रय का निर्णय लेते हुए नियम 148 के तहत 01 माह का आपत्ति इश्तहार नोटिस जारी कर दिया। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी को अनुचित लाभ देने की नियत से पंचायत नियमों के बिरूद्ध जाकर रास्ते की भुमि का जारी कर दिया। ग्राम पंचायत की समस्त आदेशिकाए एक ही तारीख में लिखी गयी है इसके अलावा मौके की रिपोर्ट में 3 पंचों द्वारा मंगवाई गई थी उस पर पचों के नाम अंकित नही है। आपत्ति इश्तहार कहा चस्पा किया गया उस जगह का अंकन नही है न ही जिन मोजिस व्यक्तियों के सामने चस्पा किया गया है उनके नाम एवं पते का अंकन है। ग्राम पंचायत द्वारा लिये गये स्वतंत्र बयानों में क्षेत्रफल का अंकन नही है और न ही अप्रार्थी संख्या 01

अति. जिला कलक्टर, पाली

का कब्जा कब से है यह अंकन है। उक्त दोनो गवाह जैर निगरानी आराजी के पडौसी भी नही है। उक्त समस्त कार्यवाही पंचायती राज नियमों के विरूद्ध जाकर अप्रार्थी सख्या 01 को अनुचित लाभ पंहुचाने की नियत से की गई। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जैर निगरानी पट्टा खारिज फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की पालना करते हुए जारी किया है जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा कब्जा शुदा जमीन का पट्टा बनाने हेतु विधिवत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.5.1999 को पेश किया गया है। जिसके आधार पर ग्राम पंचायत ने मिसल कायम कर 10 रूपये कोर्ट फीस, 25 रूपये निरीक्षण फीस एवं 25 रूपयें नक्शा फीस जमा करवाने हेतु दिनांक 30.05.1999 को आदेशित किया जो रसीद संख्या 1326 से जमा हो चुके है एवं नियम 145 के तहत नक्शा व नियम 146 के तहत तीन पचों की निरीक्षण रिपोर्ट मंगवायी गई। नियम 148 के तहत प्रारूप – 22 में आक्षेप आंमत्रित करने बाबत नोटिस जारी किया जो ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक 56 दिनांक 14.09.2000 से जारी किया गया एवं उस पर दो मोजिज व्यक्तियों के हस्ताक्षर है। दो व्यक्तियों के विधिवत बयान लिये हुए है। जैर निगरानी पट्टा पंचायत नियमो के तहत एवं उनकी अक्षरशः पालना करते हुए जारी किया गया है। जैर निगरानी आराजी नन्दलाल की पुश्तैनी भुमि नही होकर स्वंय की कब्जाशुदा आराजी है। जिसका ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार है। उक्त कब्जाशुदा आराजी रास्ते की भुमि नही है, जो नक्शा मौका एवं निरीक्षण रिपोर्ट से स्पष्ट है, जिस पर केवल नन्दलाल का ही अधिकार है, वह पारिवारिक सम्पती नही है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है की जैर निगरानी पट्टा पंचायत राज नियम 146 –157 की पालना करते हुए जारी किया गया अतः जैर निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, मारवाड जंक्शन द्वारा मिसल संख्या 07/1999–2000 संकल्प संख्या 04 दिनांक 08.07.2002 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2625 दिनांक 01.03.2003 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की मिसल का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि आवेदक नन्दलाल द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मारवाड जंक्शन के समक्ष अपने पुश्तैनी/कब्जा शुदा भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें वांछित भूमि का पडौस आदि अंकित है। इस पर अप्रार्थी द्वारा जरिये रसीद संख्या 1326 के राशि 60/– रूपये ग्राम पंचायत में जमा किये गये तथा दिनांक 30.05.1999 मिसल कायम की गई। ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को नक्शा बनाने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश की पालना में जो नक्शा तैयार किया गया, उस पर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, सरपंच के हस्ताक्षर है। पंचायत की बैठक दिनांक 29.08.2000 में उक्त मिसल पेश हुई, जिस पर ग्राम सचिव द्वारा नक्शा प्रस्तुत किया एवं इस दिनांक को तीन वार्ड पंचों की कमेटी मनोनीत कर मौका निरीक्षण करने के आदेश दिये गये। तीन वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट में नियम 157(ख) के तहत पट्टा जारी करने का निवेदन किया। इस पर दिनांक 11.09.2000 को नियम 147 के तहत पट्टा बनाने का अस्थाई निर्णय लिया जाकर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है। इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 08.07.2002 तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही होने पर दो गवाह पेश करने के निर्देश दिये गये। इसके पश्चात प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 08.07.2002 को नियम 157 (ख) के तहत अप्रार्थी नन्दलाल के नाम पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये, जिसकी पालना में पट्टा संख्या 2625 दिनांक 01.09.2003 जारी किया गया। इस सम्पूर्ण कार्यवाही में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पूर्णतः पालना की गई है। जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत मारवाड जंक्शन की आबादी भुमि है, न की गैर मुमकिन रास्ते की भुमि है जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 का पुश्तेनी कब्जा होने से जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

में पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमों की पूर्णतया अक्षरशः पालना की गई है। अतः जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत सारहीन, बलहीन एवं पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत, मारवाड जंक्शन द्वारा मिसल संख्या 07/1999–2000 संकल्प संख्या 4 दिनांक 08.07.2002 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2625 दिनांक 01.09.2003 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का मूल रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 18/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली